

राजस्थान उच्च न्यायालय,

जयपुर पीठ

डी.बी. दीवानी रिट याचिका संख्या 4648/2022

जमुना प्रसाद पुत्र स्वर्गीय श्री सुख राम, आयु लगभग 66 वर्ष, निवासी 52/203, सेक्टर 5, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर, वर्तमान में वैज्ञानिक अधिकारी ई, परमाणु खनिज निदेशालय, प्रताप नगर, जयपुर के पद पर कार्यरत, अब सेवानिवृत्त और मकान नंबर 317, इंजीनियर्स कॉलोनी, क्वार्सी बाई पास रोड, क्वार्सी, अलीगढ़, उ.प्र.- 202001.

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, जरिये अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग एवं सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, मुंबई -400001.
2. निदेशक, परमाणु खनिज, अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1-10-153- 156, बेगम पेट, हैदराबाद-500016.
3. क्षेत्रीय निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, सेक्टर-5, एक्सटेंशन प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर -302033.
4. श्री विनोद जे. कट्टी, क्षेत्रीय निदेशक, कार्यालय निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान, खास महल, टाटा नगर, जमशेदपुर, पूर्वी-सिंहभूम, झारखंड-831002, अब सेवानिवृत्त और जरिये निदेशक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, 1-10-153-156, बेगम पेट, हैदराबाद-500016.

-----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता की ओर से :	सुश्री परिनितू जैन
प्रतिवादीगण की ओर से :	सुश्री मंजीत कौर साथ में
	सुश्री दिशा जैन
	सुश्री निधि खंडेलवाल साथ में
	सुश्री अंशु कंवर

माननीय श्री न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन**माननीय श्री न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर****आदेश****11/02/2025**

1. यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में 'अधिकरण') द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.12.2021 को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसके द्वारा यमुना प्रसाद बनाम भारत संघ व अन्य शीर्षक वाले मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 को खारिज कर दिया गया था।

2. संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 1980 में परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक सहायक 'बी' के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। 01.02.2001 को, याचिकाकर्ता को वैज्ञानिक अधिकारी 'ई' के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता को वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' के पद पर पदोन्नति नहीं दी गई। वैज्ञानिक अधिकारी 'एफ' के पद पर पदोन्नति न देने की शिकायत उठाते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि याचिकाकर्ता प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के कारण पात्र नहीं था। 06.09.2010 को, अवधि 01.12.2008 से 30.06.2009 तक के प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों को याचिकाकर्ता को संसूचित किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर अभ्यावेदन दिनांक 29.09.2010 को 16.11.2010 को अस्वीकार कर दिया गया। अभ्यावेदन अस्वीकार होने से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की जिस पर निर्णय नहीं लिया जा रहा था और याचिकाकर्ता ने अधिकरण के समक्ष

मूल प्रार्थना पत्र संख्या 222/2012 दायर किया। आदेश दिनांक 17.04.2012 के द्वारा, अपीलीय प्राधिकारियों को आदेश की प्राप्ति के तीन महीने के भीतर अपील का निर्णय करने का निर्देश दिया गया। अपील 01.01.2013 को अस्वीकार कर दी गई। अपीलीय आदेश दिनांक 01.01.2013 और अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 दायर किया गया था।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलीय आदेश दिनांक 01.01.2013 पिछले मुकदमे में कभी भी चुनौती के अधीन नहीं था। अभ्यावेदन की अस्वीकृति और अपीलीय आदेश, मूल प्रार्थना पत्र संख्या 15/2022 में अधिकरण के निर्देशों के अनुसरण में प्रतिकूल टिप्पणियों को संसूचित किए जाने के बाद पारित किए गए थे।

4. इसके विपरीत, दोनों मुकदमों में मुद्दा प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन प्रविष्टियों को चुनौती देने के संबंध में था।

5. प्राइन्त्याय लागू करने की पूर्वापेक्षा को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा *सैयद मोहम्मद सली लब्बाई (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य बनाम मोहम्मद हनीफा (मृत) जरिये विधिक प्रतिनिधि व अन्य*, (1976) 4 SCC 780 में प्रतिवेदित मामले में प्रतिपादित किया गया था:-

"7. * * *

* * *

* * *

...इससे पहले कि प्राइन्त्याय की दलील को प्रभावी किया जा सके, निम्नलिखित शर्तों को सिद्ध किया जाना चाहिए-

- (1) कि मुकदमा लड़ने वाले पक्षकार वही होने चाहिए;
- (2) कि वाद की विषय-वस्तु भी समान होनी चाहिए;

- (3) कि मामला पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से निर्णित होना चाहिए; और
- (4) कि वाद का निर्णय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयद्वारा किया जाना चाहिए।”

6. याचिकाकर्ता द्वारा दायर पिछला मूल प्रार्थना पत्र, अभ्यावेदन को अस्वीकार करने वाले आदेश के खिलाफ दायर अपील के लंबित रहने के दौरान था। अधिकरण ने 17.04.2012 को अपीलीय प्राधिकारी को आदेश की प्राप्ति से तीन महीने के भीतर अपील का निर्णय करने का निर्देश दिया। अपील खारिज होने के बाद, मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 दायर किया गया। अधिकरण ने मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 को खारिज करने के लिए प्राङ्गन्याय लागू करने में त्रुटि की, क्योंकि पिछले मूल प्रार्थना पत्र और वर्तमान मूल प्रार्थना पत्र में विषय-वस्तु भिन्न थी। मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 में आक्षेपित आदेशों को चुनौती पिछले मुकदमे की विषय-वस्तु नहीं थी और अधिकरण के लिए अब उठाए गए मुद्दों के गुणागुण पर न्यायनिर्णयन करने का कोई अवसर उत्पन्न नहीं हुआ था, अधिकरण ने प्राङ्गन्याय के आधार पर मूल प्रार्थना पत्र को खारिज करने में त्रुटि की।

7. मूल प्रार्थना पत्र संख्या 304/2013 को खारिज करने वाला आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है और मामले को अधिकरण को वापस प्रेषित किया जाता है ताकि वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, कानून के अनुसार मूल प्रार्थना पत्र पर नए सिरे से निर्णय ले सके।

8. याचिका स्वीकार की जाती है।

9. चूंकि हमने अधिकरण द्वारा पारित दोनों आदेशों को अपास्त कर दिया है, इसलिए लगाया गया हर्जाना भी निरस्त किया जाता है।

10. याचिकाकर्ता अधिकरण के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र के शीघ्र निपटारे के लिए प्रार्थना करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रार्थना किए जाने की स्थिति में उस पर कानून के अनुसार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा कि याचिकाकर्ता एक वरिष्ठ नागरिक है।

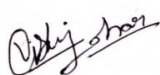
(प्रमिल कुमार माथुर), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/अरुण/9

क्या सूचनीय है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़